न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 19/2018 ::

अपीलांट :-	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
गजेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी खैरवा तहसील व जिला पाली		1. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार पाली। 2. भागीरथ सिंह पुत्र किशन सिंह राजपुरोहित 3. सवाई सिंह पुत्र देवीसिंह राजपुरोहित निवासीगण खैरवा तहसील पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल वर्मा
रेस्पोडेण्ट सं. 1 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम
रेस्पोडेण्ट सं. 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकुल सोनी

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 16.04.2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, पाली के न्यायालय के प्रकरण संख्या 1095/2018 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम गजेन्द्रसिंह आदेश दिनांक 09.02.2018 के विरुद्ध पेश की। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट के विरूद्ध मौजा ग्राम खैरवा के खसरा नम्बर 1174 राजकीय भूमी किस्म गै.मु.रास्ता के रकबा 0.06 है. भूमी पर कब्जा मानकर अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही कर भूमी के विरूद्ध बेदखली के आदेश तहसीलदार पाली द्वारा पारित किए गए जो खारिज योग्य है। तहसीलदार पाली द्वारा पटवार हल्का खैरवा में केम्प में पेशी दिनांक 09.02.2018 को रखी गई वहां नहीं आए एवं अपीलाण्ट को पटवार हल्का खैरवा में उपस्थित होने पर कहां की हस्ताक्षर कर दो आज तहसीलदार साहब नहीं आएगें पेशी बाद में पता कर लेना। अपीलाण्ट ने साक्ष्य सबूत पेश करने का समय चाहा लेकिन उन्होने सही जवाब नहीं दिया। अपीलाण्ट द्वारा मातहत अदालत के केम्प कोर्ट खैरवा में जवाब भी पेश किया। उसे भी रेकर्ड पर नहीं लिया गया है, बाद में तहसील कार्यालय में 2-3 बार अपीलाण्ट तारीख पेशी पता करने गया तो अन्त में बताया कि उसके विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किए गए है एवं खैरवा कैम्प कोर्ट की दिनांक 09.02.2018 को ही निर्णय किया जा चूका है। इस प्रकार अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का, सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया जो काबिल खारिज है। मातहत अदालत द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही मौके की स्थिति के विरूद्ध व झूठी शिकायत के आधार पर की गइ है। जो अपास्त की जावें। सेटलमेंट नक्शा व मिलान क्षेत्रफल के आधार पर सरकारी भूमी मानकर कार्यवाही की गई है। जबकि वादग्रस्त आराजी रास्ता भूमी नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी हास्यास्पद है। वह स्वयं आस्वस्त नहीं है कि वादस्थ भूमी खातेदारी है या रास्ता की इसलिए टी.पी. रिपोर्ट सरकारी भूमी मानकर पेश की गई है। तहसीलदार पाली को स्वयं नाप करवा कर मौके पर जाकर न्यायपूर्ण सही

क्रमश.....2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

कार्यवाही करनी चाहिए थी। पटवार हल्का खैरवा अथवा तहसीलदार पाली द्वारा अड़ौस–पड़ौस के खसरों का नाप मनमर्जी से रकबे को रास्ते में मानकर कार्यवाही की गई है जो काबिल खारिज है। मौके पर रास्ते की भूमी पड़ी है रास्ता अवरूद्ध नहीं है। इसके अलावा भी शिकायतकर्ता के बेरे पर नदी के सहारे जाने हेतु रास्ता है। वास्तव में जैर अपील भूमी अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी भूमी है मौके पर वादग्रस्त भूमी खसरा नम्बर 1176 की है जहां पीढ़ियों से पानी की बेल का ऊँचा 4 फीट का धोरा लगा हुआ है जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। वर्तमान खसरा नम्बर 1176 के पूर्व के ख.न. 2747 थे किस्म गै.मु.वाडिया था उसी के ख.न. 1176 हुए है। इस कारण उक्त भूमी सरकारी भूमी न होकर अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी भूमी है। इसलिए अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमावें। भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में 4 नक्शे बनाए गए है। चारों नक्शों में फेरबदल है नक्शों में भिन्नता स्पष्ट है। उनके द्वारा रिपोर्ट में वादग्रस्त खसरा नम्बर राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं होना बताते है जबकि सेटलमेन्ट की पासबुक में दिए गए नक्शे में पूर्व के ख.न. 1176 का भाग है जो इसमें मिला दिया गया हे। ख.न. 2736 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा गै.मु. पड़त पूर्व में थी। जिसके वर्तमान ख.न. 1174 बना उसका रकबा भी 5 बीघा 17 बिस्वा है। इसलिए मौके पर बिना ख.न. की भूमी बताई हुई है। वह भूमी ख.न. 1174 की नहीं है। मौके पर ख.न. 1174 आम रास्ता बताया गया है। जो ख.न. 1177 गै.मु. बेरा के पास आकर समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में आगे की भूमी ख.न. 1174 का भाग नहीं होकर अपीलाण्ट की पिता हरिसिंह की खातेदारी भूमी का हिस्सा होने से सरकारी भूमी नहीं है। इसलिए भी मातहत अदालत की कार्यवाही अपास्त की जावें। ख.न. 1033, 1173, 1176 व 1177 का नाप चौक किया जावे जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। अपीलाण्ट को मातहत अदालत द्वारा तारीख पेशी नहीं बताई गई एवं तहसील कार्यालय में 3–4 चक्कर लगाने के बाद निर्णय के बारे में बताया गया तब दिनांक 14.03.2018 को नकलें प्राप्त हुई जिससे प्रथम जानकारी दिनांक 14.03.2018 का होने से अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैराकार ने वक्त बहस कथन किया कि पुराने ख.न. 2736 जिसके नए ख.न. 1174 पड़े दोनों का नाप 5 बीघा 17 बिस्वा राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज है जो सही है। उक्त ख.न. की आराजी गै.मु. रास्ता है ख.न. 1177 के पड़ौस में जो रास्ता संकड़ा कर अवरूद्ध किया है उक्त आराजी पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक खैरवा की रिपोर्ट अनुसार गै.मु. रास्ते का ही भाग होने से पटवार हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गई एवं उसी आधार पर मातहत अदालत द्वारा बेदखली की कार्यवाही कर ख.न. 1174 गै.मु. रास्ते की भूमी को अपीलाण्ट के कब्जे से मुक्त कराया है। जो विधी सम्मत है। ख.न. 1174 गै.मु. रास्ता है एवं कदीमी रास्ता है जिसे अपीलण्ट द्वारा अवरूद्ध कर संकड़ा कर दिया गया था एवं आगे भागीरथ सिंह वगैरा की भूमी व बेरा स्थित है। उनका रास्ता अवरूद्ध होने पर उसे विधी सम्मत कार्यवाही कर अपीलाण्ट को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करते हुए रास्ता खुलवाया गया है जो न्यायाचित होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावें।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.....3

अप्रार्थी संख्या 2 भागीरथसिंह वगैरा के अधिवक्ता ने कथन किया किया कि उनका बेरा रॉकी अपीलाण्ट द्वारा जहां रास्ता अवरूद्ध किया गया उससे आगे है तथा मैनें जबसे समझ पकड़ी है तबसे आज दिनांक तक हम इसी रास्ते का उपयोग बेरे पर पैदल, गाड़ी व ट्रेक्टर द्वारा आने–जाने के लिए करते आ रहे है। उक्त ख.न. 1174 की भूमी सेटलमेन्ट पूर्व से ही राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज है। जिसका रकबा 5.17 बीघा हे जिसे अपीलाण्ट की खातेदारी भूमी ख.न. 1177 के लगते रकबे का रास्ता बन्द कर अपनी खातेदारी भूमी ख.न. 1177 में मिलाने का गलत मन्सूबा रखता है। अगर ऐसा किया जाता है तो रॉकी बेरे पर उसके खातेदार भागीरथसिंह वगैरा नहीं जा सकते एवं उनका अधिकार समाप्त हो जायेगा जिनको रास्ता नहीं होने से अपूर्णीय क्षति होगी। अपीलाण्ट जहां रास्ता नदी में बता रहा हैं वहां रास्ता नहीं होकर गै.मु. नदी है। मौमीट्रेस व लठ्ठा ट्रेस नक्शा में ख.न. 1177 की भूमी के लगते रास्ते की आराजी अलग दर्शाई गई होने व उसके ख.न. अंकित नहीं होने की त्रुटि का फायदा उठाना चाहता है एवं रास्ते की भूमी को हथियाना चाहता है जो उसकी नहीं होकर गै.मु. रास्ता पुराना ख.न. 2736 एवं नए ख.न. 1174 रकबा 5.17 बीघा भूमी का भाग है। ऐसी स्थिति में पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक खैरवा द्वारा तहसीलदार पाली के आदेशानुसार बाद मौका निरीक्षक, नाप चौक व राजस्व रेकर्ड की जांच के पश्चात नियमानुसार अन्तर्गत 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत की गई कार्यवाही को प्रश्नगत किया जाना न्यायोचित नहीं होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जाकर मातहत अदालत का निर्णय यथावत रखा जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलाण्ट की ईश्तदुआ एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण रास्ते अवरूद्ध करने अतिक्रमण संबंधी होने से अन्दर म्याद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। वादग्रस्त आराजी के मिलान ख.न. अनुसार पूर्व ख.न. 2736 रकबा 5.17 बीघा है एवं वर्तमान ख.न. 1174 रकबा 5.17 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक खैरवा द्वारा भागीरथ सिंह के पुत्र की उसके कुए पर जाने का रास्ता अवरूद्ध करने की शिकायत पेश करने पर मौका निरीक्षण तहसीलदार के आदेश अनुसार किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान पुराना नक्शा शीट, मौमीट्रेस नक्शा व पटवार हल्का के पास उपलब्ध लठ्ठा ट्रेस में अन्तर बताया हुआ है। जिसके ख.न. अंकित नहीं है। मौके पर नाप चौक करने पर 1174 का रकबा 5.17 बीघा से कम है। जब बिना खसरा के जो टुकड़ा ख.न. 1177 के पास है जहां रास्ता अवरूद्ध होना बताते है। वकील अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी को अपीलण्ट की खातेदारी का गै.मु. वाडिया बताया है लेकिन इस बाबत किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत एवं रेकर्ड पेश नहीं किया गया है। जिससे प्रश्नगत भूमी उसके खातेदारी गै.मु. वाडिया होना सिद्ध करे।उसका रकबा 1174 में जोड़ने पर उसका क्षेत्रफल पूरा 5.17 बीघा होता है। लेकिन ख.न. 1177 का रकबा मौके पर पूरा है। इसमें उक्त बिना नम्बर के खसरे का रकबा जोडने पर रकबा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जहां रास्ता अवरूद्ध किया है उक्त भूखण्ड रास्ते का ही होना स्पष्ट है एवं मौके पर रास्ता था। इसी कमी का अपीलाण्ट ने बैजा फायदा उठाने की नीयत से रास्ता अवरूद्ध कर कब्जा कर लिया जिससे आगे बेरा रॉकी के काश्तकार भागीरथसिंह वगैरा का रास्ता बन्द हो गया। जिससे भागीरथ सिंह

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.....4

को सख्त प्रेज्यूडिस हुई एंव शिकायत तहसीलदार पाली के समक्ष की जिस पर बाद जांच रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विधी सम्मत कार्यवाही कर बेदखली आदेश प्रदान किए गए है एवं अपीलाण्ट को मौके से बेदखल कर कदीम से बना रास्ता जो राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज है उसे खुलवाया गया। जो किसी भी दृष्टी से गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

परिणामस्वरुप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार, पाली के न्यायालय के प्रकरण संख्या 1095/2018 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बअनवान सरकार बनाम गजेन्द्रसिंह आदेश दिनांक 09.02.2018 में पारित जैर अपील भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना अधिरोपित करने के आदेश को यथावत रखा जाता है तथा अपीलाण्ट को भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी जाती है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ प्राप्त मूल रेकर्ड तहसीलदार, पाली को पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली